

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 11/2021-22 में संशोधन : का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

आदेश संख्या 11/2021-22 में संशोधन

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली-110003.

जारी करने की तारीख: 14.11.2025

दिनांक 28 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 11/2021-22 में संशोधन- बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखना।

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने दिनांक 28 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 11/2021-22 द्वारा कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु (बीआईएल) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित की थी।

1.2 इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश में 6,789.92 करोड़ रुपये (एनपीवी शर्तों में) की कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। परंतु कोविड-19 के प्रभाव के कारण, प्राधिकरण ने सभी हितधारकों के हित में उचित वैमानिक टैरिफ बनाए रखने के लिए एआरआर के 13.85%, यानी 940.63 करोड़ रुपये (एनपीवी शर्तों में), को चतुर्थ नियंत्रण अवधि में आगे बढ़ाया था।

1.3 अनुमोदित दर कार्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुलग्नक I में दर्शाए अनुसार यूडीएफ और लैंडिंग, पार्किंग प्रभार निर्धारित किए गए थे। अनुमोदित टैरिफ दर कार्ड से यह देखा जा सकता है कि नियंत्रण अवधि की अंतिम तिमाही अर्थात 01.01.2026 से 31.03.2026 तक के लिए लैंडिंग प्रभार, पार्किंग प्रभार और प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ), जैसे वैमानिक प्रभार निम्नलिखित कारणों से वित्त वर्ष 2025-26 की पूर्व की तिमाहियों की तुलना में थोड़े कम स्तर पर बनाए रखे गए थे:

- (i) पूर्व की नियंत्रण अवधि के दौरान यह देखा गया था कि हवाईअड्डा प्रचालक उत्तरवर्ती नियंत्रण अवधि के लिए अपने टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) बहुत देर से प्रस्तुत करते हैं, यहां तक कि नियंत्रण अवधि शुरू हो जाती है। इस कारण से विनियामक को उत्तरवर्ती नियंत्रण अवधि के लिए पिछली तिमाही के टैरिफ को तब तक जारी रखना पड़ता था जब तक कि प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी के आधार पर नियमित टैरिफ को अंतिम रूप नहीं दे देता। जब बाद की नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कम होता है, तो इसकी वजह से अति-वसूली हो जाती है। इससे आगामी नियंत्रण अवधि के लिए समग्र टैरिफ ढाँचा विकृत हो गया। इस प्रकार, हवाईअड्डा प्रचालक को बाद की नियंत्रण अवधि के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियंत्रण अवधि के पाँचवें वर्ष की अंतिम तिमाही में टैरिफ को थोड़ा कम स्तर पर रखा गया।
- (ii) चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कम पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अनुमान है, क्योंकि क्षमता विस्तार में पर्याप्त निवेश पहले से ही तृतीय नियंत्रण अवधि में किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iii) ऐरा ने तृतीय नियंत्रण अवधि में हवाईअड्डा प्रचालक के यातायात अनुमानों को मान लिया था। बैंगलुरु क्षेत्र में यातायात में तीव्र वृद्धि की संभावना को देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया था कि बैंगलुरु हवाईअड्डे पर वास्तविक यातायात और उससे संबंधित वैमानिक राजस्व तृतीय नियंत्रण अवधि के अनुमानों से अधिक होगा। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए किसी भी संभावित अति-वसूली से बचने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में टैरिफ को थोड़ा कम करके युक्तिसंगत बनाया गया था।

2. हवाईअड्डा प्रचालक की प्रस्तुति

2.1 बैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) ने अपने दिनांक 24.09.2025 के पत्र संख्या बीआईएएल/ऐरा/2025-26/02 के माध्यम से प्राधिकरण से यह अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2025-26 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ को दिसंबर 2025 तक लागू स्तर पर बनाए रखा जाए, इसके लिए निम्नलिखित औचित्य दिया गया:

- (i) **अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अपेक्षा:** इस हवाईअड्डे को हब हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैसर्स नाको के यातायात अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2031 में यातायात बढ़कर 72 एमपीपीए हो जाएगा। इसलिए क्षमता को 51.5 एमपीपीए से बढ़ाकर 80 एमपीपीए करने की आवश्यकता है।
- (ii) **आगे स्थानांतरित न किया जाना :** यात्री यातायात का स्थानांतरण अधिक होने के कारण तृतीय नियंत्रण अवधि में संचित कम वसूली का समाधान करना।
- (iii) **वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक यातायात अनुमोदित पूर्वानुमानों से कम रहने की आशा है:** जून 2025 से अंतरदेशीय यात्री यातायात में गिरावट देखी गई है। तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश में 49.40 मिलियन यात्री की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में वार्षिक यातायात कम होकर 46 मिलियन यात्री होने की आशा है।
- (iv) **आस्थगित एआरआर:** एआरआर का कुछ हिस्सा यानी 940.63 करोड़ रुपये तृतीय नियंत्रण अवधि (आदेश संख्या 11/2021-22 के अनुसार) से आस्थगित है जिससे प्रचलित टैरिफ स्तरों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है।
- (v) **चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए समय पर टैरिफ निर्धारण:** बीआईएएल ने समय पर टैरिफ निर्धारण के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

3. प्राधिकरण का विश्लेषण

3.1 बीआईएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए अपना एमवाईटीपी 10 जुलाई, 2025 को प्रस्तुत किया। ऐरा ने हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी की जांच करने के लिए पहले ही एक स्वतंत्र परामर्शदाता मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त कर दिया है।

3.2 प्रारंभिक जांच और स्वतंत्र परामर्शदाता (मैसर्स पीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण नोट करता है कि:

- (i) **एमवाईटीपी समय पर प्रस्तुत करना :** बीआईएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2026-31) के लिए एमवाईटीपी पहले ही 10 जुलाई, 2025 को अर्थात् चतुर्थ नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से लगभग 9 माह पहले समय पर प्रस्तुत कर दिया है।
- (ii) **चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए उच्चतर कैपेक्स का प्रस्ताव:** बैंगलुरु हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन की क्षमता 51.5 एमपीपीए है। एआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हवाईअड्डे के यात्री यातायात (एमपीपीए में) डेटा के अनुसार, बैंगलुरु हवाईअड्डे पर यातायात में वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम 6 माह में 6.5 % की वृद्धि देखी गई है। तृतीय नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) अर्थात् 31 मार्च 2026 तक, में अनुमानित यातायात 45 एमपीपीए है। हवाईअड्डा प्रचालक ने मैसर्स नाको द्वारा किए गए यातायात संबंधी अध्ययन के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष में यातायात 72 एमपीपीए होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस कारण से हवाईअड्डे के टर्मिनल भवन की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। हवाईअड्डा प्रचालक ने टर्मिनल भवन के विस्तार/संशोधन, एयरसाइड और लैंडसाइड अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न संबद्ध गतिविधियों के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान लगभग 18,600 करोड़ रुपये के मूल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का प्रस्ताव किया है। ऐरा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
- (iii) **यातायात में परिवर्तन:** तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक यात्री यातायात, एटीएम और कार्गो टुलाई में उसी अवधि के टैरिफ आदेश में किए गए अनुमानों से केवल मामूली अंतर दिखाई देता है। परंतु अंतरदेशीय यात्रियों के लिए पारगमन यात्रियों की मात्रा 13% से बढ़कर 16% और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की मात्रा में 5% से बढ़कर 8% हो गई है। इसका वैमानिक राजस्व पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पारगमन यात्रियों का अनुपात बढ़ने से वैमानिक राजस्व कम होता है। अतः वैमानिक राजस्व अनुमानों से कम रहने की उम्मीद है।

3.3 ऐरा द्वारा 28.08.2021 को जारी तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ दर कार्ड के अनुसार, बीआईएल ने तृतीय नियंत्रण अवधि तक काफी अधिक कम वसूली की गणना की है, जैसा कि उनके एमवाईटीपी की प्रस्तुति में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा इसकी जांच की जा रही है। उपर्युक्त पैरा 3.2 (ii) और 3.2 (iii) में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए कैपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में यदि 31 दिसंबर 2025 को लागू (अनुलग्नक I के अनुसार) वैमानिक प्रभार (लैंडिंग, पार्किंग और यूडीएफ) को 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक की चतुर्थ तिमाही के लिए भी बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तो कम वसूली और वहन लागत वास्तव में कम हो जाएगी। इससे चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2026-31) के एआरआर पर भार कम हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आगामी चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए हवाईअड्डे के प्रभारों को कम किया जा सकेगा, क्योंकि हवाईअड्डा प्रचालक ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का प्रस्ताव दिया है।

3.4 एमवाईटीपी में उपलब्ध जानकारी और उसके बाद के स्पष्टीकरण पर आधारित स्वतंत्र परामर्शदाता के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर भले ही वित्त वर्ष 2025-26 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ को दिसंबर, 2025 तक लागू टैरिफ के स्तर पर बनाए रखा जाए, तब भी अधिक वसूली की कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि वसूली वास्तव में कम होगी।

प्राधिकरण दिनांक 28.08.2021 के टैरिफ आदेश संख्या 11/2021-22 के पैरा 14.4 का भी संज्ञान लेता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

.....

14.4 तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026) के अंतिम वर्ष में टैरिफ में कमी

14.4.1 प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि में टैरिफ में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही उसका मानना है कि विमानन क्षेत्र में सुधार और कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था के ठीक हो जाने के कारण कम पूंजीगत अपेक्षाएं और अधिक यात्री आधार के संदर्भ में बाद की नियंत्रण अवधि में स्थिति बेहतर होगी। इसलिए, बाद की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ दरें कम रहने की उम्मीद है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में टैरिफ दरों में कमी की है, जो निम्नलिखित कारकों के कारण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण किए जाने तक भी जारी रह सकती है:

(क) सभी हितधारकों के लाभ के लिए क्रमिक कमी के बजाय अगली अवधि (चतुर्थ नियंत्रण अवधि) से शुरू होने वाली टैरिफ में अचानक सुधार को रोकना।

(ख) ऐरा द्वारा अतीत में उन परिस्थितियों में देखी गई कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए, जहां आगामी नियंत्रण अवधि में टैरिफ में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद थी और कुछ हितधारकों की टैरिफ निर्धारण में विलंब करने की कार्यनीति अपनाने की प्रवृत्ति थी।

(ग) प्राधिकरण ने हवाईअड्डे के यातायात और वित्तीय अनुमानों के संबंध में रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है (हवाईअड्डा प्रचालक से काफी हद तक सहमत है) और इसका मानना है कि वास्तविक वसूली बेहतर होने की संभावना है, जिससे तृतीय नियंत्रण अवधि के अनुमानों की तुलना में अधिक राजस्व वसूली होगी

(घ) साथ ही, तृतीय नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष (वित्त वर्ष 2026) की द्वितीय छमाही तक, चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही होगी। इसलिए, प्राधिकरण वर्तमान अनुमानों के साथ वास्तविक वसूलियों का उचित रूप से मिलान कर सकेगा और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऐरा की टैरिफ निर्धारण की कार्य-प्रणाली के अनुसार उपयुक्त निर्णय लिए जा सकेंगे।

.....”

3.5 बीआईएएल के एमवाईटीपी की प्रस्तुति से यह पता चलता है कि बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि में भारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवश्यक है, क्योंकि मौजूदा टर्मिनल की क्षमता पूर्ण हो रही है।

3.6 उपर्युक्त के मद्देनजर, चतुर्थ नियंत्रण अवधि में भारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के साथ-साथ वहन लागत में कमी को पर्याप्त रूप से आगे ले जाने के कारण टैरिफ में वृद्धि की संभावना है। इसलिए, आगामी नियंत्रण अवधि के लिए कम वसूली को कम करने और यात्रियों के हित में टैरिफ को संतुलित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण वित्त वर्ष

2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक भी 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू लैंडिंग, पार्किंग और यूडीएफ प्रभारों (अनुलग्नक I के अनुसार) को बनाए रखने का निर्णय लेता है, ताकि कम वसूली और उसकी वहन लागत में कमी के कारण यात्रियों पर बोझ कम हो और टैरिफ में भारी वृद्धि के बिना सुचारू रूप से पारगमन हो सके।

4 आदेश

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण उपर्युक्त पैरा 3 में दिए गए विस्तृत कारणों/विश्लेषण के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लेता है:

- 4.1 हवाईअड्डा प्रचालक को कैपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु में 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू दरों (अनुलग्नक I के अनुसार) पर वैमानिक प्रभार (लैंडिंग, पार्किंग और यूडीएफ) लगाने और एकत्र करने की अनुमति दी जाती है, यहां तक कि वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक भी यही प्रभार लागू रहेंगे।
- 4.2 अन्य सभी प्रभार और शर्तें दिनांक 28 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या 11/2021-22 के तहत अनुमोदित किए अनुसार यथावत रहेंगी।
- 4.3 हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री हरि के. मरार,
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
कैपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु,
बेंगलुरु – 560300, कर्नाटक, भारत ,

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), एआईसी जारी करने के लिए

अनुलग्नक I

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 11/2021-22 के तहत अनुमोदित तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए कैपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु से संबंधित टैरिफ कार्ड।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ दर कार्ड

लैंडिंग प्रभार :

1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू करें

विमान का भार	अंतर्राष्ट्रीय उड़ान	अंतरदेशीय उड़ान
100 एमटी तक	प्रति एमटी 715.00 रूपए	प्रति एमटी 510.00 रूपए
100 एमटी से अधिक	100 एमटी से अधिक भार होने पर प्रति एमटी 71,500 + 855.00 रूपए	100 एमटी से अधिक भार होने पर प्रति एमटी 51,000 + 685.00 रूपए

1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू करें

विमान का भार	अंतर्राष्ट्रीय उड़ान	अंतरदेशीय उड़ान
100 एमटी तक	प्रति एमटी 500.00 रूपए	प्रति एमटी 355.00 रूपए
100 एमटी से अधिक	100 एमटी से अधिक भार होने पर प्रति एमटी 50,000+600.00 रूपए	100 एमटी से अधिक भार होने पर प्रति एमटी 35,500 + 480.00 रूपए

सभी अंतरदेशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए पार्किंग प्रभार (निःशुल्क पार्किंग अवधि के बाद पहले दो घंटों के लिए)

विमान का भार	वित्त वर्ष 2026	
	(01.04.2025 से 31.12.2025)	(01.01.2026 से 31.03.2026)
100 एमटी तक	प्रति एमटी प्रति घंटा 17.00 रूपए	प्रति एमटी प्रति घंटा 12.00 रूपए
100 एमटी से अधिक	100 एमटी से अधिक होने पर प्रति घंटा प्रति एमटी 1,700/- और 21.00 रूपए	100 एमटी से अधिक होने पर प्रति घंटा प्रति एमटी 1,200/- और 15.00 रूपए

सभी अंतरदेशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए पार्किंग प्रभार (दो घंटों के बाद)

विमान का भार	वित्त वर्ष 2026	
	(01.04.2025 से 31.12.2025)	(01.01.2026 से 31.03.2026)
100 एमटी तक	प्रति एमटी प्रति घंटा 28.00 रूपए	प्रति एमटी 20.00 रूपए
100 एमटी से अधिक	100 एमटी से अधिक होने पर प्रति घंटा प्रति एमटी 2,800/- और 35.00 रूपए	100 एमटी से अधिक होने पर प्रति घंटा प्रति एमटी 2,000/- और 25.00 रूपए

प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ):

01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक लागू दरें

यात्री का प्रकार	प्रति यात्री दर
अंतरदेशीय यात्री	प्रति यात्री 550.00 रूपए
अंतर्राष्ट्रीय यात्री	प्रति यात्री 1,500.00 रूपए

01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक लागू दरें

यात्री का प्रकार	प्रति यात्री दर
अंतरदेशीय यात्री	प्रति यात्री 385.00 रूपए
अंतर्राष्ट्रीय यात्री	प्रति यात्री 1,050.00 रूपए